न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/17

चिमन चौधरी उर्फ राधेश्याम चौधरी आत्मज श्री रामचन्द्र जी जाति जाट निवासी कृष्ण गोविन्द कॉलोनी वार्ड नम्बर 09 कस्बा के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. तेजपाल आत्मज श्री बंशीलाल जाति नायक निवासी कस्बा के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. किशन गोपाल आत्मज श्री छोटूलाल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 07 कस्बा के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. बलवीर सिंह आत्मज श्री गजराज सिंह जाति राजपूत निवासी हाडा क्लिनिक मात्रा रोड कस्बा के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. बबलेश आत्मज श्री किशन गोपाल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 07 कस्बा के0 पाटन जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से

निर्णय दिनांकः 17.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के कब्जे एवं निरन्तर उपयोग उपभोग की भूमि खसरा नम्बर 1747 रकबा 0.25 हैक्टर वाके ग्राम के0 पाटन में स्थित है । उक्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है । उक्त भूमि पर प्रार्थी का पिछले 30 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है । उक्त भूमि पर सरकार द्वारा धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत की गई कार्यवाहियों में प्रार्थी पेनेल्टी जमा कराता चला आ रहा है और उसका उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है । उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कोई

हक एवं अधिकार नहीं है । अप्रार्थीगण क्रम 02 की उक्त भूमि के समीप भूमि है जिसका नाजायज लाभ उठाकर अप्रार्थीगण क्रम 01 को फायदा पहुंचाने की गरज से प्रार्थी के आधिपत्य की आराजी पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी पर ताकत के बल पर जबरन कब्जा नहीं करे उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें, नींवें आदि खोद कर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करे । प्रार्थी के कब्जे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी क्रम 4 व 5 ने अलग– अलग जवाब प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ ने अपने निर्णय दिनांक 17.11.2014 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए तहसीलदार को निर्देशित किया कि वादग्रस्त आराजी से अतिक्रमियों को बेदखल किया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थी क्रम 04 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी अपीलान्ट ने ग्राम के0 पाटन के खसरा नम्बर 1685 में स्थित भूखण्ड संख्या 12 25 X 60 वर्गफीट 1,50,000/– रूपये में क्रय किया है । अपीलान्ट ने उक्त क्रयशुदा स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड पर मकान का निर्माण करवाया है । प्रतिवादी अपीलान्ट उक्त भूखण्ड व मकान पर वैधानिक रूप से काबिज है । खसरा नम्बर 1685 एवं 1747 की भूमि समीपवर्ती है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर कोई फाइडिंग दिये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है इस बाबत् अपीलान्ट को कोई आपत्ति नहीं है परन्तु यह आदेश पारित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1747 की 1.51 हैक्टर भूमि में अतिक्रमियों के विरूद्ध तहसीलदार नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही करे । इस आशय का कोई अनुतोष प्रार्थी के द्वारा नहीं चाहा गया था । अपीलान्ट ने ग्राम के0 पाटन के खसरा नम्बर 1685 में स्थित भूखण्ड 25 X 60 क्रय किया और उक्त भूखण्ड पर मकान निर्मित करवाया है । अपीलान्ट इस भूखण्ड

पर विधिक रूप से काबिज है । आराजी खसरा नम्बर 1685 एवं 1747 की भूमि समीपवर्ती है । रेस्पोडेन्ट वादी का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु इस आदेश की आड में अपीलान्ट को बेदखल किया जा सकता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी तेजपाल ने एक प्रार्थना पत्र अपीलान्ट एवं अन्य के खिलाफ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया । प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 1747 रकबा 1.51 हैक्टर चारागाह के बाबत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया और तहसीलदार के0पाटन को आदेश दिया कि आराजी खसरा नम्बर 1747 रकबा 1.51 हैक्टर चारागाह भूमि के किसी भू–भाग पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु अतिक्रमियों के विरूद्ध नियामनुसार बेदखली की कार्यवाही करें ।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 1063 की आराजी खसरा नम्बर 1747 रकबा 1.51 हैक्टर भूमि चारागाह दर्ज है । नक्शा ट्रेस की प्रति, केशव कॉलोनी के प्लान की फोटो प्रति एवं नकल जमाबन्दी नया खाता संख्या 665 संलग्न है । खसरा परिवर्तनशील की फोटो प्रति भी संलग्न है जिसके अुनसार खसरा नम्बर 1747 रकबा 0.25 हैक्टर पर तेजपाल का अतिक्रमण दर्ज किया गया है । इसके अलावा धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के नोटस एवं कुछ रसीदों की फोटो प्रतियॉ भी पेश की गई हैं ।

11. अपीलान्ट का यह कथन है कि उनका कब्जा खसरा नम्बर 1685 में स्थित भूखण्ड संख्या 12 25 X 60 पर है और इस आदेश की आड में उन्हें बेदखल किया जा सकता है । इस क्रम में परीक्षण न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1747 रकबा 1.51 हैक्टर जो कि चारागाह सरकारी आराजी है पर अतिक्रण हटाये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है । अपीलान्ट के खसरा नम्बर 1685 के बाबत् कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । इस कारण अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा चारागाह आराजी के बाबत् जो आदेश पारित किया गया है उसमें कोई त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2014 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17.12.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा